न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/336

कजोड पिता घांसी जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. पन्ना लाल आयु 50 वर्ष आत्मज नानूराम जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. सेवा आयु 47 वर्ष आत्मज नानूराम जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. परमानन्द आयु 40 वर्ष आत्मज नानूराम जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. रमकू बाई आयु 53 वर्ष पुत्री नानूराम जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. रतन आयु 82 वर्ष आत्मज रूपा जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. कामड आत्मज मन्ना जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. रामा आत्मज मन्ना जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. नानू पुत्री मन्ना जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
9. फूली पुत्री मन्ना जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
10. भैरूलाल आत्मज रत्या जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
11. रोडू लाल आत्मज रत्या जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
12. मोहन लाल आत्मज रत्या जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 13/337

कजोड पिता घांसी जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. पन्ना लाल आयु 50 वर्ष आत्मज नानूराम जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. सेवा आयु 47 वर्ष आत्मज नानूराम जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

3. परमानन्द आयु 40 वर्ष आत्मज नानूराम जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. रमकू बाई आयु 53 वर्ष पुत्री नानूराम जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. रतन आयु 82 वर्ष आत्मज रूपा जाति चमार निवासी रावली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री मोहन मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में।
2. श्री हेमन्तकृष्ण विजयवर्गीय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में।

निर्णय

दिनांकः 06.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध होने से तथा समान प्रकृति की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.07.2012 को एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया जिसमें पक्षकारान के अधिवक्तागण ने मिली–भगत करके गलत रूप से राजीनामा प्रस्तुत कर दिया और उसी दिनांक को राजीनामा पत्रावली में शामिल किया गया और पत्रावली दिनांक 04.09.2012 को आदेश हेतु नियत की गई और राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया ।

4. उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट्स ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा मिली भगत करके उक्त निर्णय पारित करवा लिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपने वकील साहब से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्ययालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय एंव डिक्री पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर की है जो त्रुटिपूर्ण है । उक्त राजीनामा रिकॉर्ड के सर्वथा विपरीत है राजीनामे में सभी पक्षकार उपस्थित नहीं थे और अपीलान्ट अनपढ व्यक्ति हैं जिसका फायदा उठाकर गलत राजीनामे पर अंगूठा करवा लिया । उक्त राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक भी तस्दीक नहीं किया गया है और न ही उक्त राजीनामे के आधार पर कोई डिक्री पारित की गई है । बिना तस्दीक हुए राजीनामे के आधार पर न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार कोई डिक्री जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था जिस पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर दोनों पक्षकारान के पृथक–पृथक लगान कायम किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने कॉस अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त राजीनामा न्याय, नियम एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । रेस्पोडेन्ट को धोखा देकर बहला फुसला कर जो तथ्य मौखिक बताए थे उन तथ्यों के विपरीत जाकर हस्ताक्षर करवा लिये इनत थ्यों की जानकारी बाद में हुई । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 522 में कुआ रेस्पोडेन्ट द्वारा खुदवाया गया था सम्पूर्ण राशि रेस्पोडेन्ट ने लगाई थी । अपीलान्ट से राशि मांगी भी गई थी लेकिन अपीलान्ट द्वारा कहा गया था कि वह कुए से पानी लेकर सिंचाई भी नहीं करेगा जिससे वह राशि अदा नहीं करेगा । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कॉस अपील स्वीकार फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में उक्त वाद पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किये जाने से सम्बन्धित है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को त्रुटिपूर्ण होना माना है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 13/336 एवं 13/337 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । इसी प्रकार रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत दोनों कॉस ऑब्जेक्शन अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकर कर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 20.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा